

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोण्डागांव जिला-कोण्डागांव (छ.ग.)

क्र./मु.चि.स्वा.अ./डी.एम.एफ/2026-27/4366

कोण्डागांव, दिनांक 31.10.2026
विज्ञापन क्रमांक 01/2026

// विज्ञापन //

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोण्डागांव (छ.ग.) द्वारा E-397317 ESTB-2035/2508/2026-IHR SEC.O/O NHM CMHO KGN नरित का कलेक्टर महोदया अनुमोदन अनुसार पदनाम स्टाफ नर्स संविदा पदों की स्वीकृत उपरांत एवं रिक्त हुए संविदा पदों की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, रायपुर छ0ग0 के मानव संसाधन निती 2018 के नियमानुसार संविदा पदों की भर्ती हेतु आवश्यक अर्हता रखने वाले एवं इच्छुक आवेदकों हेतु **Walk in Interview** / वाक्-इन- आवेदन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित निम्नानुसार से किये जाते हैं। जिसके रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

वाक्-इन-इंटरव्यू हेतु स्थान कार्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला - कोण्डागांव (छ.ग.)

स्वीकृत संविदा पदों विवरण

S.No	Post	Unit	Total Post	SC		ST			OBC		UR		Salary	Educational Qualification	Time/ Date of Walk in Interview/ Walk in Application
				मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	तिरु वल	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला			
1	Staff Nurse	DMF	12	1	-	4	2	-	3	-	2	-	16500/-	B.sc (Nursing) Or GNM Course Passed & live Registrations in Chhattisgarh Nursing Registrations Council	20.11.2026
2	Pharmacist	DMF	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	16500/-	Degree OR Diploma in Pharmacy (50%) & CG Registration in Pharmacy Registration council.	21.11.2026
3	डायटीशियन	DMF	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12000/-	1. एमएससी होमसाइंस उत्तीर्ण या बीएससी (होमसाइन्स में द्वितीया श्रेणी) 2. एक विषय आहार शास्त्र - (डाइटिटिक्स) होना अनिवार्य।	21.11.2026

● आवेदन पत्र के संबंध में दिशा-निर्देश :-

- यह समस्त पद पूर्णता: संविदा आधारित है।
- उक्त विज्ञापित पद हेतु छत्तीसगढ़ का मुल निवासी होना अनिवार्य है।
- समाचार पत्र में प्रकाशित तिथि अनुसार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-कोण्डागांव (छ.ग.) में **Walk in Interview** / वाक्-इन- आवेदन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
- विज्ञापन का प्रारूप/खारिज किये गये आवेदकों का पदानुसार विवरण/वाक् इन इंटरव्यू/ वाक्-इन- आवेदन दिवस को आवेदनों में छंटनी किये गये अभ्यर्थियों की सूची/ दावा आपत्ति की सूचना/दावा आपत्ति निराकरण सूची/मेरिट सूची सूची कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला - कोण्डागांव (छ.ग.) के सूचना पटल में चस्पा/उपलब्ध करायी जावेगी। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से पृथक से कोई सूचना जारी नहीं की जावेगी। इस संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने संबंधी आपत्ति स्वतः खारिज मानी जावेगी। इनका प्रकाशन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोण्डागांव जिला-कोण्डागांव (छ.ग.) में चस्पा किया जावेगा। चयन के किसी भी स्तर पर या वाक् इन इंटरव्यू/वाक्-इन- आवेदन के समय भी यदि आवेदक उपस्थित नहीं होता है, तो इसे उसके कार्य के प्रति अरुचि मानते हुए उसे प्रक्रिया से बाहर माना जावेगा।

(Signature)

वाक् इन इंटरव्यू/ वाक्-इन- आवेदन में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा।

अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण तथा समय सीमा समाप्ति के बाद प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को क्रमबद्ध नरतीबद्ध किया जावे तथा पृष्ठ क्रमांक भी अंकित करें। आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में ही व्यवस्थित करें। (1. आवेदन पत्र 2. निवास प्रमाण पत्र 3. जाति प्रमाण पत्र, 4. शैक्षणिक योग्यता 5. अनुभव प्रमाण पत्र, 6. अन्य प्रमाण पत्र) एक से अधिक पदों में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन व आवेदन शुल्क देना अनिवार्य होगा।

8. अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो स्वयं द्वारा सत्यापित कर चिपकायें एवं आवेदक निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य एवं आवेदित पद का पदनाम आवेदन पत्र उपर आवेदित पद का नाम व संवर्ग स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक है।

9. निःशक्तजन एवं भुतपूर्व सैनिक के आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार पात्रता एवं आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।

10. विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय त्रुटि चयन के किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है। ऐसे त्रुटि सुधार से चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी। इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

• योग्यता के संबंध में दिशा-निर्देश :-

11. विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता में ग्रेडिंग होने पर मार्कशीट को युनिवर्सिटी, स्कूल से प्राप्तांक व पूर्णांक प्रतिशत स्पष्ट अंकित कर मार्कशीट के साथ अनिवार्य संलग्न करें अन्यथा आवेदन निरस्त माना जावेगा।

12. अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु आवेदन कर रहे हैं उन पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, (समस्त वर्षों की अंकसूची) जाति, निवास, नर्सिंग कौंसिल जीवित पंजीयन प्रमाण एवं अनुभव प्रमाण पत्र, आवेदन शुल्क की बैंक में जमा पावती या ऑनलाईन पेमेंट की पावती आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें बाद किसी प्रकार दस्तावेज लगाने पर मान्य नहीं किया जावेगा व दावा आपत्ति के दौरान आवेदन में संलग्न दस्तावेज के अलावा अलग से अन्य दस्तावेज मान्य नहीं किया जावेगा।

13. अभ्यर्थी को वाक् इन इंटरव्यू/ वाक्-इन- आवेदन में फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।

• अनुभव व चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश :-

14.1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मानव संसाधन नीति 2018 के तहत प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों का चयन तथा दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत किया जावेगा।

क्र.	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	स्क्रीनिंग/साक्षात्कार किये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 05 गुना
3	50 से अधिक	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 03 गुना

14.2 वाक् इन इंटरव्यू/वाक्-इन- आवेदन के दिन निम्न मूल अभिलेखों के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य है-

- दसवीं/बारहवीं की अंकसूची
- स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त वर्षों की अंकसूची
- संबंधित डिग्री



संबंधित कौंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र

● सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र

● मूल निवासी प्रमाण पत्र

● निःशक्तता का प्रमाण पत्र

● अनुभव प्रमाण पत्र – यह केवल शासकीय संस्थान एवं अर्द्धशासकीय संस्थानों तथा शासकीय वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानों या उपक्रमों का ही मान्य होगा।

15. अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर बनाई जावेगी।

शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांको का प्रतिषत 80 प्रतिषत अंक

अनुभव- 1) 10 अंक (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अन्य अभ्यर्थी को 2 अंक 1 वर्ष के लिए प्रावधानित है।

2) मितानिन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत अनुभव का 01 वर्ष 04 अंक 5 वर्ष का अधिकतम 20 अंक प्रदाय किया जावेगा।

16. चयन सूची का आधार

वाक् इन इंटरव्यू/ वाक्-इन- आवेदन हेतु निम्नानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी :-

(अ) अंतिम चयन मेरिट सूची निम्नानुसार तैयार की जावेगी :-

शैक्षणिक योग्यता + अनुभव के अंक के आधार पर चयन किया जावेगा

7. मितानिन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत अनुभव का 01 वर्ष 04 अंक 5 वर्ष का अधिकतम 20 अंक प्रदाय किया जावेगा। एवं छ.ग. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ1-67/2021 /सत्रह/एक नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 07.12.2021 के तहत राज्य आपदा मोचन निधि व अन्य मद में कोविड-19 हेतु नियुक्त/कार्यरत अस्थायी स्वास्थ्य कर्मीयो को निरंतर 06 माह से अधिक कार्यनुभव देने पर अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 10 अंक प्रदाय किया जावेगा।

18. अनुभव/अनापति प्रमाण पत्र (अभ्यर्थी के आवेदित पद से संबंधित हो। केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे।) पद से संबंधित अनुभव तथा Nature of Work समान होने पर ही अभ्यर्थी को अनुभव के अंक प्रदान किये जायेंगे।

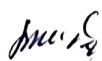
19. अनुभव प्रमाण पत्र – विज्ञापित पदों के चयन में केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/ शासकीय/अर्द्धशासकीय/पदों पर पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष 2 अंक के मान से अधिकतम 10 अंक, तथा एएनएम/जीएनएम/नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनो को प्रतिवर्ष मान से 04 अंक अधिकतम 20 अंक प्रदाय किया जावेगा। (मितानिन द्वारा कार्य-अवधि का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र)

20. अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि दिनांक का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने तथा कार्यलयीन जावक क्रमांक नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा तथा शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने के उपरांत प्राप्त अनुभव के आधार पर अनुभव के अंक मान्य की जायेगी। अनुभव में अंको की गणना 12 माह पूर्ण होने पर ही एक वर्ष किया जावेगा। 12 माह से कम अनुभव होने पर अंको की गणना नहीं की जावेगी। जीवन दीप समिति अंतर्गत कार्यरत अनुभव, प्रशिक्षण, स्वेच्छा व निशुल्क से कार्य अनुभव मान्य नहीं किया जावेगा

21. आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र सक्षम नियुक्तिकर्ता द्वारा जारी किया हो एवं नियुक्ति आदेश पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। कार्यालय का नियुक्ति आदेश पत्र नहीं होने की स्थिति में अनुभव के अंक प्रदान नहीं किया जावेगा।

22. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

23. अनुभव संबंध में जिन अभ्यर्थी का विभिन्न अनुभव में जिसमें अधिक अंक प्राप्त हो उन अनुभव के अंक को लिया जावेगा। चाहे वह कोविड-19 का अनुभव एवं मितानिन अनुभव हो एवं अन्य शासकीय विभाग का समतुल्य अनुभव।



आवेदन शुल्क के संबंध में दिशा-निर्देश :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. के आदेश क्रमांक/एन.एच.एम./एचआर/2019/329/ 611 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 03.06.2019 के एवं संशोधित आदेशानुसार आवेदन शुल्क जिला स्वास्थ्य समिति के खाता क्रमांक 50100673315541 HDFC Bank Kondagaon IFSC Code HDFC0004353 में बैंक में जमा पावती या ऑनलाईन पैमेंट (फोनपे गुगल पे एवं अन्य ऑनलाईन माध्यम) की पावती माध्यम से आवेदन पत्र में संलग्न करें।

वर्ग	निर्धारित मानदेय 25000/- से कम पर शुल्क	निर्धारित मानदेय 25000/- या उससे अधिक पर शुल्क
निःशक्त जन/अ.जा./अ.ज.जा. /महिला	100/- रु.	200/- रु.
ओ.बी.सी.	200/- रु.	300/- रु.
अनारक्षित संवर्ग	300/- रु.	400/- रु.

• आयु सीमा के संबंध में दिशा-निर्देश :-

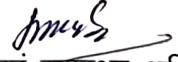
- 25.1 01 जनवरी 2026 को आयु न्युनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सकीय पद हेतु तथा अधिकतम 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु होना चाहिए। आयु की गणना 01 जनवरी 2026 के अनुसार की जावेगी। इस आयु सीमा में सभी प्रकार की छुट सम्मिलित है।
- 25.2 यह पद संविदा भर्ती के संबंध में जिले के आरक्षण एवं अन्य भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 एवं यथा संशोधित भर्ती नियम एवं शर्तों के अनुसार लागू होंगे।

• भर्ती के संबंध में सामान्य दिशा-निर्देश -

26. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
27. संविदा मानदेय :- संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगी। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
28. उपरोक्त संविदा अवधि 31 मार्च 2027 तक के लिये होगी और डीएमएफ मद अगामी स्वीकृति/वित्तीय स्वीकृति होने पर सेवा वृद्धि संतोषजनक होने की स्थिति में उक्त अवधि की वृद्धि की जा सकती है।
29. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा किया जाएगा।
30. विशेष आरक्षण अर्हता रखने वाले (निःशक्तजन/भूतपूर्व सैनिक) अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न किये जाने होंगे। अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र संलग्न ना होने की स्थिति में संबंधित प्रवर्ग के सामान्य श्रेणी में सम्मिलित किया जावेगा।
31. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों सक्षम अधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
32. उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। दिये गये निर्धारित तिथि/समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
33. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का Performance Appraisal नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

mark

- आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।
- चयनित अभ्यर्थी कार्य पर उपस्थिति हेतु 15 कार्य दिवस का अवसर दिया जावेगा।
- उक्त पद के लिए प्रवर्गवार प्रतिक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से न्यूनतम 01 वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती विज्ञापन जारी होने तक वैध रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नये पद/त्यागपत्र/किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतिक्षा सूची से भरा जा सकेगा।
37. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से गलत जानकारी दी गई हो निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
38. भर्ती की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार जिला स्वास्थ्य समिति/चयन समिति के अध्यक्ष का होगा। जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।
39. उक्त नियुक्ति का चयन जिला खनिज न्यास मद द्वारा जिले के जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जावेगा, परंतु प्रशासकीय नियंत्रण जिला स्तरीय पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोण्डागांव जिला-कोण्डागांव (छ.ग.) के नियंत्रण में रहेगा।
40. भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जानकारी विभागीय वेबसाइट www.kondagaon.gov.in के अलावा या कार्यलयीन सूचना पट के अलावा इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को किसी अन्य माध्यम से सूचना नहीं दी जावेगी।
41. कार्यभार ग्रहण करते समय चयनित अभ्यर्थी को नियंत्रणकर्ता के साथ अनुबंध करना होगा तथा स्वयं का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
42. चयन उपरान्त यदि कोई दी गयी जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो नियुक्ति किसी भी स्तर समाप्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला - कोण्डागांव (छ.ग.)